न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 124/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
छोगालाल के का0मुकाम– 1.1–नरोतम प्रकाश पुत्र छोगालाल 1.2–मोहनप्रकाश पुत्र छोगलाल 1.3–प्रकाशचंद पुत्र छोगालाल 1.4–आनंदप्रकाश पुत्र छोगालाल 1.5–देवी बेवा सज्जन प्रकाश 1.6–कंचन पुत्री छोगालाल 1.7–संतोष पुत्री छोगालाल 1.8–तुलसी बेवा छोगालाल जातियान सिरवी निवासी देवली,तहसील मारवाड जंक्शन जिला जोधपुर		1– तुलसीराम के का0 मुकाम– 1.1– डुंगरसिह पुत्र तुलसीराम 1.2– भंवरसिह पुत्र तुलसीराम 1.3– भंवरी पत्नी माधोसिह 1.4– तोलाकंवर पत्नी रतनसिह 1.5– प्रेमकंवर पुत्री रतनसिह जातियान पुरोहित निवासीगण ईसाली तहसील खारची, जिला पाली 2– भोपालसिह के का0 मुकाम– 2.1– मोरीबाई बेवा भोपालसिह 2.2– राजूसिह पुत्र भोपालसिह 2.3– विजयसिह पुत्र भोपालसिह 2.4– अरविन्दंसिह पुत्र भोपालसिह 2.5– अशोकसिह पुत्र भोपालसिह 2.6– दिनेशसिह पुत्र भोपालसिह 2.7– रूकमणीदेवी पुत्री भोपालसिह जातियान राजपुरोहित निवासी जाणुन्दा, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली हाल श्री गणेश ज्वेलर्स, डोर नंबर 7–1–169/1 अमर पेठ सत्यम टाकीज रोड, हैदराबाद 3– केसाराम पुत्र जेताराम जाति सिरवी निवासी जाणुन्दा तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन, जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–12–1985 जो उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 126/85 अनवान तुलसीराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री कानाराम गोदारा/बलवीर चौधरी अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री अशोक गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1.1, 1.3, 2.1 से 2.7 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 14–12–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पूर्वज तुलसीराम एवं भोपालसिंह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ईसाली स्थित नवीन खसरा नंबर 587 रकबा 17.18 बीघा, खसरा नंबर 588 बेरा समदडा 0.06 बीघा एवं 589 रकबा 20.09 बीघा कुल रकबा 38.13 बीघा मे प्रार्थीगण हर दोनो का 3/4 भू.भाग पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के

पूर्व से कब्जा काश्त मौके पर बहिस्सा बराबर चला आ रहा है परंतु गत सेटलमेंट के समय पूर्व सेटलमेंट अधिकारियो ने पुराने खसरा नंबर 408, 409 व 410 की भूमि पर सहवन से मानसिह व भीकमदास का नाम अंकन कर दिया जबकि उनका मौके पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा था एवं तत्पश्चात मानसिह व भीकमदास ने अन्य मुसमी केसाराम पुत्र जेताराम जाति सिरवी जिसका कुल भूमि के 1/4 भाग पर बेरे का छोडकर कब्जा काश्त था, जिसे केशाराम ने अपने व छोगालाल के नाम तमाम भूमि की रजिस्ट्री बाला बाला मानसिह व भीकमदास से स्वयं के नाम करवा ली तथा राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर उनका बिना कब्जा हुए तमाम भूमि केसाराम व छोगालाल के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा ली जबकि छोगालाल, मानसिह, भीकमदास का कभी भी कब्जा बेरा समदडा व उसकी आराजी पर नही रहा था मात्र भूमि के 1/4 भाग मे बेरा को छोड कर केसाराम का अवश्य कब्जा था, आदि का उल्लेख प्रार्थना पत्र मे करते हुए राजस्व रेकर्ड मे नवीन खसरा नंबर 587, 588, 589 की कुल 38.13 बीघा भूमि सरहद ईसाली के 3/4 भाग मे बहिस्सा बराबर के रेकर्ड मे खातेदार घोषित करने का एवं बेरा समदडा अकेले प्रार्थीमणो के नाम बहिस्सा बराबर इन्द्राज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–85 के द्वारा प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम ईसाली के खसरा नंबर 587, 588, 589 रकबा कमशः 17.18 बीघा, 0.06 बीघा एवं 20.09 बीघा भूमि पर सायलान तुलसीराम पुत्र केशरसिह पुरोहित सा0 ईसाली व भोपालसिह पुत्र भुणेशसिह पुरोहित सा0 जाणून्दा का 3/4 हिस्सा एवं केसाराम पुत्र जेताराम सिरवी सा0 जाणून्दा का 1/4 हिस्सा खातेदारी का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित कर दिये ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपीलांटगण के पूर्वज छोगालाल पुत्र राजमल जाति सिरवी सा0 देवली तहसील मारवाड जंक्शन ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 18–2–1987 को प्रस्तुत की । उक्त अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 31–5–93 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को प्राथमिक आपत्तियो पर खारीज कर दिया । जिसके विरूद्ध छोगाराम के कायम मुकाम अपीलांटगण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत अपील को माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 14–8–97 के द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 31–5–93 को निरस्त कर अपीलांट को सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने हेतु लौटाने के आदेश पारित किये जाने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली ने आदेश दिनांक 10–9–99 के द्वारा मूल अपील वकील अपीलांट को सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु लौटाई जाने पर अपीलांटगण नें वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 1–10–99 को प्रस्तुत की गई, जो इस न्यायालय मे मयाद के बिन्दु पर उजर एतराज दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली नोटिस तामिली मे दिनांक 4–7–2002 तक चलती रही जिनमे अपीलांट अधिवक्ता को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजुद रेस्पो0 के सम्मन पेश नही किये जाने के कारण आदेश दिनांक 3–8–2002 के द्वारा अपीलांट की अपील को अदम पैरवी मे खारीज कर दिया ।

इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 3–8–2002 को रेस्टोर करवाने हेतु अपीलांट की ओर से एक रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी का दिनांक 13–2–2003 को पेश किया जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27–2–2003 के द्वारा उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी खारीज कर दिये जाने पर अपीलांटगण ने

उक्त आदेश दिनांक 27–2–2003 के विरूद्ध एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अज़मेर मे 4404/03 की प्रस्तुत की, जिसमे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 14–3–2014 के द्वारा उक्त निगरानी को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2003 को अपास्त करते हुए प्रकरण अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे लंबित मूल अपील संख्या 62/99 पुनः नंबर पर लेने के आदेश पारित किये तथा निगरानीकर्ता/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना हेतु एक अवसर देते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जाने पर उक्त अपील दिनांक 26–3–2014 को दर्ज की गई । जिस पर अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति देते हुए रेस्पो0 के कायम मुकाम के नोटिस पेश किये उसके पश्चात से पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलबी मे विचाराधीन थी जिसमे अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड अनेको प्रयास के बाद प्राप्त होने पर आदेशिका दिनांक 10–9–2020 से पत्रावली बहस मे रखी गई । उक्त अपील मे रेस्पो0 की ओर से पूर्व मे उपस्थित अधिवक्ता के स्थान पर अन्य अधिवक्ता की ओर से वकालातनामा पेश हुआ तथा रेस्पो0 अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस दिनांक 7–8–2020 को पेश की गइ, जो शामिल पत्रावली है । अपीलांट अधिवक्ता की बहस दिनांक 23–11–2020 को रेस्पो0 अधिवक्ता की उपस्थिति मे सुनी गई ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता तुलसीराम एवं भोपालसिह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ईसाली स्थित नवीन खसरा नंबर 587 रकबा 17.18 बीघा, खसरा नंबर 588 बेरा समदडा 0.06 बीघा एवं 589 रकबा 20.09 बीघा कुल रकबा 38.13 बीघा मे प्रार्थीगण दोनो का 3/4 भू भाग पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से कब्जा काश्त मौके पर बहिस्सा बराबर चला आ रहा है, उक्त तथ्य खसरा गिरदावरी से सांबित है ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि गत सेटलमेंट के समय पूर्व सेटलमेंट अधिकारियो ने पुराने खसरा नंबर 408, 409 व 410 की भूमि पर सहवन से मानसिह व भीकमदास का नाम अंकन कर दिया जबकि उनका मौके पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा था एवं तत्पश्चात मानसिह व भीकमदास ने अन्य मुसमी केसाराम पुत्र जेताराम जाति सिरवी जिसका कुल भूमि के 1/4 भाग पर बेरे का छोडकर कब्जा काश्त था, केशाराम ने अपने व छोगालाल के नाम तमाम भूमि की रजिस्ट्री बाला बाला मानसिह व भीकमदास से स्वयं के नाम करवा ली तथा राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर उनका बिना कब्जा हुए तमाम भूमि केसाराम व छोगालाल के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा ली जबकि छोगालाल, मानसिह, भीकमदास का कभी भी कब्जा बेरा समदंडा व उसकी आराजी पर नही रहा था मात्र भूमि के 1/4 भाग मे बेरा को छोड कर केसाराम का अवश्य कब्जा था ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि छोगालाल व केशाराम ने राजस्व अधिकारियो से मिलावट कर उनका बिना कब्जा के तमाम भूमि केशाराम व छोगालाल के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी अंकित करवा दी जबकि मौके पर कुल भूमि के 3/4 भू भाग पर रेस्पो0गण का ही कब्जा काश्त था तथा यह भी उल्लेख किया कि नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन के आदेश के तहत दिनांक 29–12–80 के द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे के आधार पर शिकमी काश्तकार अंकित किया गया था जिससे रेस्पो0 के कब्जे की पुष्टि होती है, इसप्रकार रेस्पो0गण टिनेन्सी एक्ट के प्रभावशाली होने से पूर्व के समय से संवत 2010 व संवत

2012 की खसरा गिरदावरी मे कब्जा काश्त रेस्पो0 का ही दर्ज है और आज तक बेरा समवडा की 3/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है, इस कारण रेस्पो0गण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार मारवाड जंक्शन का जवाब पेश हुआ तथा पटवारी हल्का ईसाली की मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत हुई जिसमें तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने उक्त खसरान की भूमि पर रेस्पो0गण के पिता तुलसीराम व भोपालसिह का 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त बताया तथा कब्जा काश्त की पुष्टि स्वरूप खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2020 व 2030 से 2040 तक की पेश की जिसमे भी कब्जा काश्त तुलसीराम एंव भोपालसिह का ही बताया गया था इन सभी रेकर्ड एवं रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत ने अपने निर्णय मे स्पष्ट उल्लेख किया कि सेट्रलमेंट कर्मचारियो द्वारा रेस्पोगण का नाम दर्ज नही किया जाना न्यायसंगत नही था इसलिए रेस्पो0गण का नाम दर्ज करना उचित मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम ईसाली के खसरा नंबर 587, 588, 589 रकबा क्रमशः 17.18 बीघा, 0.06 बीघा तथा 20.09 बीघा भूमि पर रेस्पो0गण तुलसीराम व भोपालसिह का 3/4 हिस्सा मानते हुए तथा केसाराम का 1/4 हिस्सा मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–85 को पारित किया गया था जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 20–12–85 के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी, जिसे अपीलांट की अपील को अंदर मयाद नही माना तथा अपील के साथ अपीलांट ने अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अभाव मे तथा उक्त अपील के सुनने का क्षेत्राधिकार डिवीजनल कमिश्नर का होने से राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर ने उनके निर्णय दिनांक 31–5–93 के द्वारा अपीलांट की अपील को खारीज कर दिया था, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी को आदेश दिनांक 14–8–97 से आंशिक स्वीकार करते हुए राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 31–5–97 को निरस्त कर अपीलांट को सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करने के निर्देश दिये । जिसकी पालना मे अपीलांट ने अतिरिक्त सभागीय आयुक्त जोधपुर मे अपील वर्ष 1999 मे प्रस्तुत की जो 2 वर्ष विलंब से पेश की थी जो मयाद बाहर थी इसलिए अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करना था क्योकिं उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश दिनांक 20–12–85 के विरूद्ध वर्ष 1999 मे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे करीब 14 वर्ष विलंब से अपील पेश की गई थी तथा अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र भी पेश करना था ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे अपील वर्ष 1999 से विचाराधीन होने के कारण अपीलांट को रेस्पो0गण के सम्मन पेश करने हेतु अंतिम मौका दिया जाने पर भी पालना नही करने पर अपीलांट की अपील को अदम पैरवी में दिनांक 3–8–2002 को खारीज कर दिया जाने पर उक्त आदेश को रेस्टोर करवाने हेतु अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी के तहत पेश किया गया जिसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–2–2003 के द्वारा खारीज कर दिया जाने के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी को 2000/– की कोस्ट के साथ

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के आदेश दिनांक 27–2–2003 को निरस्त कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे लंबित अपील संख्या 62/99 को पुनः नंबर पर लेने के आदेश देते हुए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना हेतु एक अवसर प्रदान करने पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई । जिसमे अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलबी में 5 वर्ष से विचाराधीन है, अतः रेकर्ड के अभाव मे अपील को मेरिट पर सुनकर निर्णित करने का निवेदन किया तथा अपील का निर्णय गुणावगुण पर करने से पूर्व मयाद बिन्दु पर सुनने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस के निरंतर मे मौखिक बहस मे मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलांटगण ने उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–85 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष वर्ष 1987 मे अपील पेश की थी जो 2 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की थी, जो मयाद बाहर थी । इसी प्रकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से पारित आदेश दिनांक 14–8–97 की पालना मे अपीलाटगण ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे वर्ष 1999 मे दो वर्ष के विलंब से अपील पेश की थी तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया होने से अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि मौजा ईसाली स्थित खसरा नंबर 409 व 410 की भूमि पर कब्जा काश्त रेस्पो0गण के पूर्वज तुलसीराम व भोपालसिह का ही थी जिसकी पुष्टि सवंत 2010 से 2034 तक की गिरदावरी से होना बताया इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत रेस्पो0गण खातेदार हो गये तथा कथन किया कि अपीलांट छोगाराम व मानसिह का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही था इसलिए मानसिह एवं भीकमसिह की उक्त भूमि बेचने का अधिकार छोगालाल व केशाराम को नही था तथा बेचान दस्तावेज के आधार पर छोगालाल व भीकमदास उक्त भूमि के कानूनन खातेदार नही बने । जबकि सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने बेचान के आधार पर इन्द्राज स्वीकृत कर दिया जबकि सेटलमेंट विभाग को बेचान के आधार पर खातेदारी दर्ज करने का क्षेत्राधिकार नही है, रजिस्ट्री के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करने का अधिकार सरपंच ग्राम पचांयत एवं तहसीलदार को है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि रजिस्ट्री के आधार पर इन्द्राज स्वीकृत करने का आदेश दिया है जबकि बेचान कौनसी तारीख को हुआ तथा बेचान रजिस्टर्ड है अथवा अनरजिस्टर्ड, उसका कोई उल्लेख आदेश मे नही किया गया है । सेटलमेंट विभाग को किसी की खातेदारी समाप्त करने का अधिकार नही है इसलिए ऐसे गलत इन्द्राज को उपखण्ड अधिकारी सोजत ने अपीलाधीन आदेश के जरिये सही सुधारा है तथा कथन किया कि कानून का यह तयसुदा सिद्धान्त है कि बेचानकर्ता से अधिक हक अधिकार खरीददार को प्राप्त नही हो सकते । इस कारण वर्तमान मामले मे मानसिह एवं भीकमदास उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नही थे इस कारण उन्हे अपीलांट छोगाराम व केशाराम को बेचान करने का अधिकार नही था ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि केसाराम स्वयं उक्त भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार था, इस कारण केशाराम की उक्त भूमि खरीदने का कानूनन कोई आवश्यकता नही थी अगर उक्त भूमि का खरीददार के रूप मे खातेदार काश्तकार केसाराम होता तो छोगाराम के साथ केशाराम भी अपील पेश करता परंतु किसी भी न्यायालय मे केसाराम ने अपील पेश नही की है तथा छोगाराम अकेले ने ही अपील की है । छोगाराम केवल उक्त भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदार माना जा सकता है इसलिए छोगाराम को उक्त सम्पूर्ण भूमि की अपील करने का अधिकार नही है, छोगाराम कैसे एग्रीवड पक्षकार है, उसके द्वारा अपील के साथ कोई अनुमति

बाबत अपील पेश करने का पेश नही किया है, इस आधार पर भी अपीलांट की अपील चलने योग्य नही होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने कथन किया कि उक्त भूमि पर रेस्पो0गण का करीब 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा कभी भी उक्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जाकाश्त नही रहा है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट ने 12 वर्ष के अन्दर रेस्पो0गण के विरूद्ध बेदखली बाबत कोई कार्यवाही नही की हैं इस कारण भी रेस्पोगण का एडवर्स पेजशन के आधार पर रेस्पो0गण खातेदार बन चुके है तथा रेस्पो0गण के खातेदारी अधिकार कानूनन समाप्त नही किये जा सकते है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अंत मे अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–85 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया ।

अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने रेस्पो0गण के अधिवक्ता द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत लिखित बहस एवं रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस के प्रत्युत्तर मे अपनी बहसं मे कथन किया कि ग्राम ईसाली हाल तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नंबरान 587, 589 एवं 588 तीन खसरान की क्रमशः 17.13 बीघा, 20.09 बीघा तथा 0.06 बीघा कुल 38.13 बीघा भूमि के खातेदार छोगा वल्द राजमल सिरवी सा0 देवली 1/2 एवं केसा वल्द जेता जाति सीरवी सा0 लाणूदा 1/2 हिस्से के खातेदारी की थी । जिस पर अपीलांट एंव रेस्पो0 संख्या 3 अपने अपने हिस्से पर कदीमी से काश्त करते आ रहे है तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 का 1/2, 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि की बिगोडी लगान भी उनके द्वारा जमा करवाया जा रहा है, जिसकी रसीदे अपील के साथ प्रस्तुत की है । इसी प्रकार उक्त भूमि का भू प्रबंध विभाग का पर्चा लगान संवत 2029 से 2048 तक का खातेदार छोगा वल्द राजमल सिरवी सा0 देवली 1/2 एवं केसा वल्द जेता जाति सीरवी सा0 लाणूदा 1/2 हिस्से के नाम का सहायक भू प्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया था, जो रेकर्ड पर है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने केवल वर्तमान रेस्पो0 संख्या 4 तहसीलदार को पक्षकार बनाते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया तथा राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर उपरोक्त वर्णित खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि मे से अपीलांट का नाम हटाने का आदेश गुपचुप तरीके से बिना राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 जो कि रेकर्डेड खातेदार थे, उनको पक्षकार बनाये बिना तथा नोटिस जारी कर उसे सुने बिना ही पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 कभी अपीलाधीन भूमि के खातेदार ही नही रहे तथा न ही उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है परंतु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का व तहसीलदार से मिलावट कर अपना नाम उक्त खातेदारी की भूमि मे सिकमी काश्तकार के रूप मे दर्ज करवा दिया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र के

जरिये केवल रेकर्ड दुरस्ती करने का प्रावधान है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 नंबर 1 व 2 के नाम कभी खातेदारी रही नही फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र के जरिये रेकर्डेड खातेदार अपीलांट छोगाराम का नाम उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना हटाते हुए उसके स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कर उन्हे खातेदारी अधिकार देने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांट को सुने बिना नेचुरल जस्टिस के विरूद्ध पारित किया गया होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं उनकी मौखिक बहस मे जो मुख्य आपत्ति यह प्रकट की गई है, उनमे अपीलांट ने अपील विलंब से पेश की है, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अपीलांट पक्षकार नही था इसलिए अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थनापत्र पेश नही किया गया है । इसके जवाब मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 20–12–85 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष वर्ष 1987 मे प्रस्तुत की गई अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र के साथ पेश की गई थी जिसमे विलंब को क्षमा करने बाबत सद्भाविक कारण का उल्लेख करते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया गया था तथा वही अपील वर्तमान मे विचाराधीन है इसलिए रेस्पो0 का यह कथन सही नही है कि अपीलांट ने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया ।

इसके अलावा अपील पेश करने की अनुमति धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश नही किया जाने के संबंध मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि मै अपीलाधीन भूमि का रेकर्डेड खातेदार था तथा अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के खातेदारी भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे केवल तहसीलदार मारवाड जंक्शन को ही पक्षकार बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना रेकर्डेड खातेदार (अपीलांट) को सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट की खातेदारी को धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र के जरिये समाप्त करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट प्रभावित होने से अपीलांट को जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी थी तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मै उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित आदेश से एग्रीवड (व्यथित) था इसलिए मुझे एग्रीवड परसन मानते हुए मेरी अपील दर्ज रजिस्टर कर ली गई थी तथा कार्यालय टिप्पणी मे कोई आपत्ति नही लगाई थी इसलिए रेस्पो0 की उक्त आपत्ति सही नही है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे ए.आई.आर. 1975 पेज 2092 की निर्णय नजीर उद्धरित की तथा आर.आर.डी.1983 पेज 821 की निर्णय नजीर पेश की ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय मे केवल मात्र अपीलांट की भूमि पर कब्जा काश्त होने तथा अपने पक्ष मे खसरा गिरदावरी आदि पेश कर उसके आधार पर खातेदार घोषित करने बाबत धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे केवल तहसीलदार मारवाड जंक्शन को ही पक्षकार बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार मारवाड जंक्शन की मौके एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "वर्तमान मे जमाबंदी मे उक्त खसरा नंबर 587, 588, 589 मे छोगालाल पुत्र राजमल कौम सिरवी 1/2 सां. देवली तथा

केसाराम पुत्र जेताराम सिरवी 1/2 सा. आणून्दा खातेदार दर्ज है ।" अथार्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब यह तथ्य भी प्रकट हो चुका था कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का खातेदार है फिर भी उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये केवल कब्जा काश्त को आधार मानकर अपीलांट के खातेदारी को समाप्त करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने बाबत आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 के प्रार्थना पत्र मे पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध था तथा ऐसे विरूद्ध आदेश को कभी भी अपील के जरिये चुनौती दी जा सकती है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का रेकर्डेड खातेदार था तथा अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, नामांतरकरण आदि में दर्ज होते हुए उसके खातेदारी को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–85 के द्वारा समाप्त कर माफिक कब्जा काश्त के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने बाबत पारित किया गया आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एवं विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया तथा अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 20–12–85 एवं वर्तमान अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्राघली मे उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पूर्वज तुलसीराम एवं भोपालसिह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ईसाली स्थित नवीन खसरा नंबर 587 रकबा 17.18 बीघा, खसरा नंबर 588 बेरा समदडा 0.06 बीघा एवं 589 रकबा 20.09 बीघा कुल रकबा 38.13 बीघा मे प्रार्थीगण हम दोनो का 3/4 भू भाग पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से कब्जा काश्त मौके पर बहिस्सा बराबर चला आ रहा है परंतु गत सेटलमेंट के समय पूर्व सेटलमेंट अधिकारियो ने पुराने खसरा नंबर 408, 409 व 410 की भूमि पर सहवन से मानसिह व भीकमदास का नाम अंकन कर दिया जबकि उनका मौके पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा था एवं तत्पश्चात मानसिह व भीकमदास ने अन्य मुसमी केसाराम पुत्र जेताराम जाति सिरवी जिसका कुल भूमि के 1/4 भाग पर बेरे का छोडकर कब्जा काश्त था, जिस केशाराम ने अपने व छोगालाल के नाम तमाम भूमि की रजिस्ट्री बाला बाला मानसिह व भीकमदास से स्वयं के नाम करवा ली तथा राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर उनका बिना कब्जा हुए तमाम भूमि केसाराम व छोगालाल के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा ली जबकि छोगालाल, मानसिह, भीकमदास का कभी भी कब्जा बेरा समदडा व उसकी आराजी पर नही रहा था मात्र भूमि के 1/4 भाग मे बेरा को छोड कर केसाराम का अवश्य कब्जा था, आदि का उल्लेख प्रार्थना पत्र मे करते हुए राजस्व रेकर्ड मे नवीन खसरा नंबर 587, 588, 589 की कुल 38.13 बीघा भूमि सरहद ईसाली के 3/4 भाग मे बहिस्सा बराबर के रेकर्ड मे खातेदार घोषित करने का एवं बेरा समदडा अकेले प्रार्थीगणो के नाम बहिस्सा बराबर इन्द्राज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–85 के द्वारा प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम ईसाली के खसरा नंबर 587, 588, 589 रकबा क्रमशः 17.18 बीघा, 0.06 बीघा एवं 20.09 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण तुलसीराम पुत्र केशरसिह पुरोहित सा0 ईसाली व भोपालसिह पुत्र गुणेशसिह पुरोहित सा0 जाणून्दा का 3/4 हिस्सा एवं केसाराम पुत्र

जेताराम सिरवी सा0 जाणून्दा का 1/4 हिस्सा खातेदारी का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित कर दिये ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 20–12–85 एवं उसके बाद के आदेशो के विरूद्ध सम्पन्न कार्यवाही के घटनाकम का उल्लेख अपील के प्रारंभ मे किया जा चुका है अंततः वर्तमान अपील उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 20–12–85 के विरूद्ध विचाराधीन है, जिस पर निर्णय किया जाना है । पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । रेस्पो0 गण के अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की गई, जो शामिल पत्रावली है ।

अपील पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड अनुसार ग्राम ईसाली हाल तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नंबरान 587, 589 एवं 588 तीन खसरान की कमशः 17.18 बीघा, 20.09 बीघा तथा 0.06 बीघा कुल 38.13 बीघा भूमि के खातेदार छोगा वल्द राजमल सिरवी सा0 देवली 1/2 एवं केसा वल्द जेता जाति सीरवी सा0 लाणूदा 1/2 हिस्से के खातेदारी की थी, जो वर्तमान अपील के अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 है । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अपीलांट का नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि की बिगोडी लगान की रसीदे भी अपील के साथ प्रस्तुत की है । इसी प्रकार उक्त भूमि का भू प्रबंध विभाग का पर्चा लगान जो सहायक भू प्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया था, जो रेकर्ड पर है तथा नामांतरकरण संख्या 120 ग्राम ईसाली जो अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 केसाराम के पक्ष मे पंजीबद्ध बेचान के आधार पर स्वीकार किया गया है,उपलब्ध है। जिसमे अपीलांट खातेदार छोगा वल्द राजमल सिरवी सा0 देवली 1/2 एवं रेस्पो0 संख्या 3 केसा वल्द जेता जाति सीरवी सा0 लाणूदा 1/2 हिस्से मे नाम दर्ज है ।

वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमे केवल तहसीलदार मारवाड जंक्शन जो वर्तमान अपील मे रेस्पो0 संख्या 4 है, को पक्षकार बनाते हुए पेश किया तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 जो कि रेकर्डेड खातेदार थे, उनको पक्षकार बनाये बिना तथा नोटिस जारी कर उसे सुने बिना ही पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वास पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र के जरिये केवल रेकर्ड दुरस्ती करने का प्रावधान है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय मे केवल मात्र अपीलांट की भूमि पर कब्जा काश्त होने तथा अपने पक्ष मे खसरा गिरदावरी आदि पेश कर उसके आधार पर खातेदार घोषित करने बाबत धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे केवल तहसीलदार मारवाड जंक्शन को ही पक्षकार बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार मारवाड जंक्शन की मौके एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "वर्तमान मे जमाबंदी मे उक्त खसरा नंबर 587, 588, 589 मे छोगालाल पुत्र राजमल कौम सिरवी 1/2 सां. देवली तथा केसाराम पुत्र जेताराम सिरवी 1/2 सा. आणून्दा खातेदार दर्ज है ।" अथार्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब यह तथ्य भी प्रकट हो चुका था कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का खातेदार है फिर भी उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये केवल कब्जा काश्त को आधार मानकर अपीलांट के खातेदारी को समाप्त करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने बाबत आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 के प्रार्थना पत्र में पारित कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय

के सिद्धान्त के विपरीत होने से ऐसे विधिविरूद्ध आदेश को कभी भी अपील के जरिये चुनौती दी जा सकती है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस एवं उनकी मौखिक बहस मे जो मुख्य दो बिन्दुओ पर आपत्ति यह प्रकट की गई है, जिसमे से एक आपत्ति यह कि अपीलांट ने अपील विलंब से पेश की है तथा दूसरी यह कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अपीलांट पक्षकार नही था इसलिए अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थनापत्र पेश नही किया गया है ।

इसके जवाब मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 20–12–85 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष वर्ष 1987 मे प्रस्तुत की गई अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र के साथ पेश की गई थी जिसमे विलंब को क्षमा करने बाबत सद्भाविक कारण का उल्लेख करते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया गया था तथा वही अपील वर्तमान मे विचाराधीन है इसलिए रेस्पो0 का यह कथन सही नही है कि अपीलांट ने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है ।

इसके अलावा अपील पेश करने की अनुमति धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश नही किया जाने के संबंध मे अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि वह अपीलाधीन भूमि का रेकर्डेड खातेदार था तथा अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के खातेदारी भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे केवल तहसीलदार मारवाड जंक्शन को ही पक्षकार बनाया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना रेकर्डेड खातेदार (अपीलांट) को सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट की खातेदारी को धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र के जरिये समाप्त करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट प्रभावित होने से अपीलांट को जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी थी तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मै उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित आदेश से एग्रीवड (व्यथित) था इसलिए मुझे एग्रीवड परसन मानते हुए मेरी अपील दर्ज रजिस्टर कर ली गई थी तथा कार्यालय टिप्पणी मे कोई आपत्ति नही लगाई थी । इसके अलावा वर्तमान अपील जो कि समय–समय पर पारित आदेशो के विरूद्ध दो बार माननीय राजस्व मण्डल तक प्रस्तुत हुई जिसमे भी अपीलांट को एग्रीवड मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया है इसलिए रेस्पो0 की उक्त आपत्ति अब इस स्टेज पर सही नही है।

रेस्पो0 गण द्वारा प्रस्तुत अपनी लिखित बहस का मुख्य आधार उक्त भूमि पर रेस्पो0गण का करीब 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा कभी भी उक्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जाकाश्त नही रहा है तथा अपीलांट ने 12 वर्ष के अन्दर रेस्पो0गण के विरूद्ध बेदखली बाबत कोई कार्यवाही नही की है इस कारण भी रेस्पोगण का एडवर्स पेजशन के आधार पर रेस्पो0गण खातेदार बन चुके है इसलिए रेस्पो0गण के खातेदारी अधिकार कानूनन समाप्त नही किये जा सकते है । इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही करवाई जा सकती, यदि रेस्पो0गण अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त के आधार पर अपना अधिकार मानते तो इसके लिए उन्हे सक्षम न्यायालय मे खातेदारी की घोषणा का दावा प्रस्तुत करना चाहिये था। रेस्पो0गण ने अपने पक्ष मे मात्र कब्जे काश्त बाबत खसरा गिरदावरी अलग अलग वर्षो की पेश की है, तो खसरा गिरदावरी कोई रेकर्ड ऑफ राईट नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–85 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलांट एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अन्य रेकर्डेड एवं हितबद्ध खातेदारो को पक्षकार बनाते हुए उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करे । उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 18–1–2021 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 14–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर